फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

ला पत्र 351/25

संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.05.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् पत्थरगढी करवाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.3200 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के ऑनलाईन सीमाज्ञान का आवेदन क्रमांक(टोकन संख्या 2025 / 19602 / 23 दिनांक 17.04.2025 की पालना में दिनांक 22.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। बावजूद सीमाज्ञान के आवारा पशु घुसकर फसल को नुकसान करते है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् पत्थरगढी करवाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.3200 है0 सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह्न कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	